राजस्थान सरकार
निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग
जी. 3 राजमहल रजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, जयपुर
e-mail- caodlb@gmail.com
Fax No. 222[illegible]
Tel No.- 0141-222[illegible]

कमांक : प.6(ड)लेखा / डीएलबी / सड़क निर्माण / 2017–18 / 73684 दिनांक [illegible]

संशोधित स्वीकृति आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा की गयी बजट घोषणा वर्ष 2017–18 की कियान्विति के कम में राज्य के समस्त नगर निकाय क्षेत्रों में सड़क निर्माण / सड़क सुधार (Road Restoration) कार्य करवाये जाने हेतु विभागीय आदेश कमांक प.6(ड)लेखा / डीएलबी / 2017 / सड़क निर्माण / 20677 दिनांक 08.11.2017 द्वारा प्रशासनिक एव वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी। इसके उपरान्त कुछ नगर निकायों में कार्य की मात्रा / लागत में विचलन होने के कारण विभागीय आदेश कमांक 28399–428 दिनांक 20.02.2018 एवं 39691–700 दिनांक 21.05.2018 द्वारा संशोधित प्रशासनिक एव वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी। कार्यों की संख्या में विचलन होने के कारण उक्त निकायो में पुनः नीचे तालिका में वर्णित अनुसार कार्य करवाये जाने की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(Amount Rs in Cr.)

S. No.	Name of ULB	As per original/revised A&F Sanction		Additional A&F sanction		As per Revised A&F Sanction	
		No. of Works	Amount Including Provisional Sum	No. of Works	Amount including provisional Sum	No. of Works	Amount Including Provisional Sum
1.	Alwar	49	10.56	-	-	39	10.56
2.	Suratgarh	10	4.00	-	-	11	4.00
3.	Nasirabad	[illegible]	4.19	-	-	25	4.19
4.	Ajmer	53	10.48	-	-	56	10.48
5.	Kota (Ward no. 13 & 43 North Constituency)	138	14.77	-	14.37 (आदेश [illegible] 39691 दिनांक 21.05.2018)	138	29.14

अन्य शर्ते व विवरण पूर्व में जारी विभागीय स्वीकृति आदेश कमांक 20677 दिनांक 08.11.2017 के अनुसार यथावत रहेगें। कार्य की कियान्विति के सम्बन्ध में आरटीपीपी एक्ट 2012 / नियम 2013 की पूर्ण पालना करते हुये कार्य के स्थान परिवर्तन की स्थिति में नवीन निविदा आमन्त्रित कर कार्य सम्पादित करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

कमांक : प.6(ड)लेखा / डीएलबी / सड़क निर्माण / 2017–18 / 73685-703 दिनांक : [illegible]

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

01. निजी सचिव, माननीया मंत्री महोदय स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
02. संयुक्त सचिव मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
03. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वा0 शासन विभाग राज0 जयपुर।

86

E:\desktop 2018\paliwal g\paliwal ji all letter.docx

04. जिला कलक्टर, अलवर।
05. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
06. कार्यकारी निदेशक, रूडसिको लालकोठी स्कीम, जयपुर ।
07. मुख्य अभियन्ता / परियोजना निदेशक, रूडसिको, लालकोठी स्कीम, जयपुर।
08. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय।
09. आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम / परिषद / पालिका, कोटा / अजमेर / अलवर / सूरतगढ़ / नसीराबाद।
10. उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर / बीकानेर / कोटा / अजमेर।
11. प्रभारी वेबसाईट / समन्वयक सी.एम.ए.आर. को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

11/9/18

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियन्ता